उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या H10674 / सी–1 / एनओसी–1157 / 2017

दिनॉक : 14-10-17

सेवा में,

मैसर्स "क्रेस्ट प्रमोटर्स प्रा0लि0"
प्लाट नं0–एस.सी.–02–एफ,
सेक्टर–150, नोएडा
गौतमबुद्धनगर।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जो कि बोर्ड मुख्यालय में दिनॉक–18.08.2017 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा आप अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तो एवम् सामान्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवम् वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की स्थापना हेतु सशर्त सहमति स्वीकृत की जाती है :–

1. स्थापनार्थ सहमति निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल – मैसर्स "क्रेस्ट प्रमोटर्स प्रा0लि0"
प्लाट नं0–एस.सी.–02–एफ,
सेक्टर–150, नोएडा
गौतमबुद्धनगर।

(ख) उत्पादन – कुल भू–खण्ड एरिया–**58064.71 वर्गमीटर** एवं **बिल्टअप एरिया 2,25,815.93** वर्गमीटर में स्पोर्ट्स सिटी परियोजना संबंधी निर्माण कार्य।

(ग) मुख्य कच्चे माल – गिट्टी, सरिया, सीमेन्ट व अन्य बिल्डिंग मैटेरियल ।

(घ) सीवेज उत्प्रवाह की मात्रा – 302 के0एल0डी0 ।

(ड.) प्रयुक्त ईधन – डीजल का उपयोग 1010 के0वी0ए0 क्षमता के 04 एवं 625 के0वी0ए0 क्षमता का 01 (कुल पॉच डी0जी0सैट) हेतु आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

1. प्रस्तावित परियोजना मैसर्स **"क्रेस्ट प्रमोटर्स प्रा0लि0" प्लाट नं0–एस.सी.–02–एफ, सेक्टर–150, नोएडा गौतमबुद्धनगर** में कुल प्लाट एरिया **58064.71 वर्गमीटर पर** बिल्टअप एरिया **2,25,815.93 वर्गमीटर** का निर्माण किया जाये।
2. **प्लाट डेवलपमेन्ट** कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नही किया जायेगा। ऑथारिटी के एस0टी0पी0 के शुद्धिकृत सीवेज का प्रयोग निर्माण कार्य में किया जायेगा।
3. परियोजना द्वारा रू0 50,000/– का शुल्क 15 दिन में बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित किया जाये अन्यथा की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझी जायेंगी।
4. परियोजना द्वारा प्रस्तावानुसार **302 के0 एल0 डी0** उत्प्रवाह जनित होगा जिसके शुद्धिकरण हेतु **365 के0 एल0 डी0** क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शुद्धिकृत सीवेज को फलशिंग, हरित पट्टिका की सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों में अधिकाधिक रिसाइकिल किया जाये। अतिरिक्त होने पर अथॉरिटी से पूर्वानुमति प्राप्त कर सीवर में निस्तारित किया जायें।

......................क्रमशः पृष्ठ–2

26. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle.
27. All medical held, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of constrction debris or construction material related to dust emission.
28. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.
29. fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.
30. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.
31. Wind breaking wall will be constructed around the construction site.
32. Green belt will be developed around the buildings as per rules.
33. All approach roads & in campus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.
34. उद्योग द्वारा रू0 10 लाख/– की बैक गारन्टी बोर्ड के पक्ष में 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाये जिसमें कम सं0–2 से 33 तक की शर्ते निहित हो अन्यथा की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
35. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पॉच वर्ष या बैंक गारन्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो, मान्य होगी।
36. बैंक गारण्टी की शर्तों का अनुपालन न करने की दशा में प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा ली जायेंगी एवं अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामान्य शर्तो का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तो में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.11.2017 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

14/10/17

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 /एन0ओ0सी0 तद्दिनॉक :

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोयडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1